एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता

के लिए

अभिरुचि पत्र

का फार्मेट

महात्मा गांधी प्रवासी

सुरक्षा योजना

विषय-सूची तालिका

इस 'अभिरुचि-पत्र' का प्रयोजन..

'अभिरुचि पत्र' के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक संलग्नक.............................

प्रस्तुत किए जाने वाले अभिरुचि पत्र के लिए फार्मेट...

अनुदेश

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत सेवा प्रदाता के लिए पात्रता मानदण्ड............................

एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता की भूमिका और उत्तरदायित्व....................................

अनुलग्नक

प्ररूप I : एनपीएस लाइट के अंतर्गत संकलक तथा यूटीआई द्वारा नियुक्त किए गए वितरक के समर्थन में प्रमाण...

प्ररूप II : ईसीआर देश में भौगोलिक विस्तार पर जानकारी..

प्ररूप III : एनपीएस लाइट में स्थिति..

प्ररूप IV: वित्तीय उत्पादों के विक्रय में अनुभव..

इस 'अभिरुचि पत्र' का प्रयोजन

इस 'अभिरुचि पत्र' को प्रस्तुत करने के उपरांत सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए इच्छुक संस्था निम्नलिखित का अनुपालन करने के लिए सहमत है:

(क) 'प्रतिभागिता-पत्र' में तथा 'अभिरुचि पत्र' में यथाउल्लिखित सभी निबंधन और शर्तों को समीक्षा करने तथा उनमें स्वयं को परिचित कराने के लिए।

(ख) एमओआईए द्वारा संभावित एमजीपीएसवाई सब्सक्राइबरों को यथाप्रत्यायोजित सभी निर्दिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वे भारत में और ईसीआर देशों में, उनके संगठनों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं तथा उनके पास समस्त आवश्यक अनुमोदन हैं।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि संलग्न 'अभिरुचि पत्र' में उनके द्वारा प्रदान की गई समस्त जानकारी समस्त दृष्टि से सत्य, पूर्ण तथा सही है।

'अभिरुचि पत्र' के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक अनुलग्नक[1]

(क) संगठन का वचन-पत्र

(ख) भौगोलिक विस्तार

(ग) यूटीआई एएमसी द्वारा जारी एएमएफआई

(घ) एनपीएस लाइट में स्थिति

(ड.) अन्य जानकारी जो प्रकट की जानी आवश्यक समझी जाए

[1] इस दस्तावेज के साथ संलग्न अनुबंध में उपलब्ध फार्मेट-I, II, III, और IV का अवलोकन करें।

<u>प्रस्तुत किए जाने वाले अभिरुचि पत्र के लिए फार्मेट</u>

(संगठन के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएगा)

तारीख : / / 2013

सेवा में

निदेशक (ई.पी.)
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार,
अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

विषय: महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अभिरुचि पत्र।

प्रिय महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के रूप में मैंने/हमने "एमजीपीएसवाई के अंतर्गत सेवा प्रदाता बनने के लिए पात्रता अपेक्षाओं जो **प्रतिभागिता-पत्र** में संलग्न है" की समीक्षा कर ली है तथा स्वयं को उनसे अवगत करा लिया है।

(क) हम संभावित एमजीपीएसवाई सब्सक्राइबरों को सेवाएं प्रदान करने के लिए "एमजीपीएसवाई के अंतर्गत सेवा प्रदाता" के रूप में सूचीबद्ध होने के इच्छुक हैं।

(ख) हम यह पुष्टि करते हैं कि हमने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) द्वारा निर्धारित की गई समस्त आवश्यकताओं को समझ लिया है तथा हम बिना किसी शर्त के उनका पालन करने के लिए सहमत हैं,

(ग) हमारे अनुरोध पर विचार करने के लिए इस 'अभिरुचि पत्र' के साथ सहायक दस्तावेजों सहित आवश्यक विवरण संलग्न किए जा रहे हैं;

(घ) हम यह समझते हैं कि एमओआईए बिना कोई कारण बताए हमारे प्रतिक्रिया दस्तावेजों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हैं तथा इस दस्तावेज और ऐसे समस्त अन्य दस्तावेजों. जो भी इस संबंध में अपेक्षित हैं तथा इस दस्तावेज और ऐसे समस्त अन्य दस्तावेजों, जो भी इस संबंध में अपेक्षित हैं, पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं।

(हस्ताक्षर) ______________________________

(पूरा नाम) ______________________________

(पदनाम) ______________________________

______________________________ (निगम/कंपनी/फर्म/संगठन का नाम और पता) के लिए और उसकी ओर से प्राधिकार पत्र/सहमति को हस्ताक्षरित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत

(संगठन की मुद्रा/मुहर)

<u>अनुदेश</u>

एमजीपीएसवाई के लिए सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होने के प्रयोजनार्थ संगठन को पात्रता मानदण्ड का अनुपालन करना चाहिए तथा वह परिकल्पित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए (जैसा कि नीचे उल्लेख की गई हैं)।

इच्छुक संगठन मूल्यांकन के लिए एमओआईए को **'अभिरुचि पत्र'** प्रस्तुत करते हुए आवेदन कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि अपेक्षित जानकारी पर प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसे विनिर्दिष्ट प्रपत्र में हार्डप्रति में निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:

निदेशक (ई.पी),
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार, अकबर भवन,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत सेवा प्रदाता के लिए पात्रता मानदण्ड:

केवल निम्नलिखित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले संगठनों को ही छांटा जाएगा:

(क) संगठन एनपीएस-लाइट के अंतर्गत पीएफआरडीए के साथ एक विद्यमान पंजीकृत संकलक होना चाहिए।

(ख) संगठन यूटीआई एएमसी के विभिन्न उत्पादों का विद्यमान वितरक होना चाहिए तथा उकसे पास एएमएफआई रजिस्ट्रीकरण नम्बर होना चाहिए।

(ग) संगठन के पास अनिवार्यत: ईसीआर देशों में विदेशी उपस्थिति (प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष) होनी चाहिए।

एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता की भूमिका और उत्तरदायित्व:

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत एमओआईए द्वारा पैनल में रखे गए सेवा प्रदाता से निम्नलिखित कृत्यों के सेट का अनुपालन करने की प्राथमिक तौर पर अपेक्षा की जाती है। तथापि, ये व्यापक नहीं हैं।

- **प्रारंभिक ग्राहक संपर्क**
    - ईसीआर देशों में भारतीय प्रवासी कर्मकारों (संभावित सब्सक्राइबरों) के मध्य स्कीम के बारे में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना।
    - अनुमोदित सूचना सामग्री प्रदर्शित करके तथा मंत्रालयों द्वारा उसके कार्यालयों में साझी की गई विभिन्न प्रचार सामग्री का प्रयोग करते हुए एमजीपीएसवाई के विषय में जानकारी सृजित करना।
- **सब्सक्राइबरों का पंजीकरण**
    - एमजीपीएसवाई नामांकन केन्द्रों के रूप में पंजीकृत की जाने वाली शाखाओं की पहचान करना तथा नामांकन केन्द्रों को प्रचालनयोग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की तैनाती और विश्वसनीय अवसंरचना की स्थापना करना।
    - एमजीपीएसवाई आईटी प्रणाली में सब्सक्राइबरों का पंजीकरण तथा केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन।
    - एमजीपीएसवाई सब्सक्राइबर स्वागत किट जारी करना तथा नामांकित सब्सक्राइबर को पावती रसीद देना।
    - एमजीपीएसवाई पंजीकरण फार्मों को भागीदारवार छांटना तथा उन्हें केवाईसी दस्तावेजों के साथ भारत और विदेश, दोनों में स्कीम भागीदारों को भेजना।
    - किसी भावी संदर्भ के लिए सभी दस्तावेजों की एक-एक स्केन की गई प्रति अनुरक्षित करना।

- क्रियान्वयन तथा विनियामक अनुपालन जिसमें पीएफआरडीए, सेबी और आईआरडीए के प्रासंगिक पेंशन, म्यूयुअल फंड तथा जीवन बीमा वितरण विनियम भी शामिल है, के लिए एलआईसी, यूटीआई एएमसी, सीआरए और अन्य अभिहित अनुषंगियों के साथ समन्वय करना।

- **सब्सक्राइबर अंशदान प्रक्रमण**

  - सब्सक्राइबरों से चेक/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अनुदेश द्वारा सब्सक्राइबर अंशदान संग्रहित करना तथा उसे एमजीपीएसवाई बैंकिंग भागीदार को अंतरित करना।

  - एनपीएस लाइट स्कीम से संबंधित सब्सक्राइबर अंशदान का प्रबंधन (पीएफआरडीए के संकलक की हैसियत में)।

  - समुचित रिकार्ड अनुरक्षित करना तथा अपलोड किए गए डाटा का संकलन करना।

- **सब्सक्राइबर के लिए सेवाएं**

  - सब्सक्राइबर के अनुरोध पर एमजीपीएसवाई प्रणाली मं सब्सक्राइबर के विवरण (सांख्यिकीय आंकड़ों) को अद्यतन बनाना/संशोधित करना और परिवर्तन अनुरोध फार्म की एक प्रति भण्डारण और भावी प्रयोग के लिए स्कीम भागीदारों को अग्रेषित करना।

  - दावे, पुनर्भुगतान अथवा वापसी के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए आवेदक (सब्सक्राइबर/नामिती) की सहायता करना।

  - सब्सक्राइबर की शिकायतों अथवा परिवारों को पंजीकृत करना तथा पंजीकृत की गई शिकायतों का प्रभावी और समय पर समाधान सुनिश्चित करना।

अन्य सेवाएं

- लेन-देन जानकारी का रिकार्ड रखना तथा जब कभी आवश्यक हो एमओआईए अथवा स्कीम भागीदारों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना।

- सेवा प्रदाता के कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग के लिए संगठनात्मक स्तर पर संपर्क का एकल बिंदु निर्दिष्ट करना।

- सब्सक्राइबर के हित का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एमओआईए द्वारा यथानिर्दिष्ट कोई अन्य उत्तरदायित्व/सेवा का निष्पादन करना।

अनुबंध

अभिरुचि पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्ररूप

प्ररूप I : एनपीएस लाइट के अंतर्गत संकलक तथा यूटीआई एएमसी द्वारा नियुक्त वितरक के समर्थन में प्रमाण

(संगठन के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएगा)

प्रिय महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के तौर पर मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि हम पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियुक्त एनपीएस लाइट संकलक के रूप में तथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त यूटीआई एएमसी वितरक के रूप में पंजीकृत हैं।

इस संबंध में हमारे कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं।

निगम/कंपनी/फर्म/संगठन का नाम	
एनपीएस लाइट संकलक के रूप में पंजीकरण संख्या	
एनपीएस लाइट के अंतर्गत पंजीकरण की तारीख	
यूटीआई एएमसी के वितरक के रूप में एएमएफआई पंजीकरण संख्या	
यूटीआई एएमसी के वितरक के रूप में पंजीकरण की तारीख	

मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि ऊपर उल्लिखित तथ्य सही हैं। मैं/हम सहमत है कि हमारा एमजीपीएसवाई के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण एनपीएस लाइट संकलक तथा यूटीआई एएमपी के वितरक के रूप में पात्रता की अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन है।

यदि किसी भी समय एनपीएस लाइट संकलक अथवा यूटीआई एएमसी वितरक के रूप में हमारा लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो मैं/हम ऐसे विवर्जन की सूचना एमओआईए को प्रदान करने की जिम्मेदारी लेते हैं।

(हस्ताक्षर) ______________________________

(पूरा नाम) ______________________________

(पदनाम) ______________________________

______________________________ (निगम/कंपनी/फर्म/संगठन का नाम और पता) के लिए और उसकी ओर से प्राधिकार पत्र/सहमति को हस्ताक्षरित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत

(संगठन की मुद्रा/मुहर)

प्ररूप-II : ईसीआर देश में भौगोलिक विस्तार की सूचना

1. विदेशी उपस्थिति

क्रम सं.	**ईसीआर देश**	**प्रत्यक्ष उपस्थिति (वाई/एन/एस)**	**अप्रत्यक्ष उपस्थिति (वाई/एन/एस)**
1.	संयुक्त अरब अमीरात		
2.	सउदी अरब साम्राज्य		
3.	कतर		
4.	ओमान		
5.	कुवैत		
6.	बहरीन		
7.	मलेशिया		
8.	लीबिया		
9.	जॉर्डन		
10.	यमन		
11.	सूडान		
12.	अफगानिस्तान		
13.	इंडोनेशिया		
14.	सीरिया		
15.	लेबनान		
16.	थाइलैंड		
17.	ईराक		

वाई = प्रचालन के क्षेत्र में कार्यालय की उपस्थिति

एन = कार्यालय की गैर उपस्थिति

एस = प्रचालन के क्षेत्र में सुदृढ़ सब्सक्राइबर आधार के साथ स्थापित विक्रय, फ्रंट ऑफिस की उपस्थिति दर्शाता है।

प्रत्यक्ष उपस्थिति : प्रचालन के क्षेत्र में सेवा प्रदाता का अपना कार्यालय है।

अप्रत्यक्ष उपस्थिति : प्रचालन के क्षेत्र में सेवा प्रदाता की उपस्थिति व्यापक भागीदार के माध्यम से है।

क्रम सं.	ईसीआरदेश देशों में विस्तार का समेकन	कुल आंकड़े
1.	प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देशों की कुल संख्या	
2.	अप्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देशों की कुल संख्या	
3.	सेवा प्रदाता द्वारा कवर किए गए कुल ईसीआर देश	

II - भारतीय राज्यों तथासंघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू उपस्थिति

क्रम सं.	ईसीआरदेश	प्रत्यक्ष उपस्थिति (वाई/एन/एस)	अप्रत्यक्ष उपस्थिति (वाई/एन/एस)	कुल शाखाएं (सं.)
1.	समस्त भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सूची यहां बनाएं			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

वाई = प्रचालन के क्षेत्र में कार्यालय की उपस्थिति

एन = कार्यालय की गैर उपस्थिति

एस = प्रचालन के क्षेत्र में सुदृढ़ सब्सक्राइबर आधार के साथ स्थापित विक्रय, फ्रंट ऑफिस की उपस्थिति दर्शाता है।

प्रत्यक्ष उपस्थिति : प्रचालन के क्षेत्र में सेवा प्रदाता का अपना कार्यालय है।

अप्रत्यक्ष उपस्थिति: प्रचालन के क्षेत्र में सेवा प्रदाता की उपस्थिति व्यापक भागीदार के माध्यम से है।

क्रम सं.	**ईसीआरदेश देशों में विस्तार का समेकन**	**कुल आंकड़े**
1.	प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देशों की कुल संख्या	
2.	अप्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देशों की कुल संख्या	
3.	सेवा प्रदाता द्वारा कवर किए गए कुल ईसीआर देश	

प्ररूप-III : एनपीएस लाइट में स्थिति

एनपीएस लाइट में संकलक के रूप में वर्तमान स्थिति

क्रम सं.	निम्न पर जानकारी अपेक्षित है	स्थिति/टिप्पणी
1.	एनपीएस लाइट संकलक के रूप में पंजीकरण की स्थिति	
2.	एनपीएस लाइट में निधि प्रबंधक	
3.	सीआरए एवं टीबी केसाथ अपलोड का मॉडल	
4.	पंजीकृत सब्सक्राइबरों की संख्या	
5.	भारत में एनपीएस लाहर में प्रचालनों का क्षेत्र	
6.	सब्सक्राइबर आधार का प्रकार	

प्ररूप IV : वित्तीय उत्पाद विक्रय में अनुभव

वित्तीय उत्पादों का विक्रय/विपणन

उत्पाद का प्रकार	**शिकायतों की संख्या**	**विक्रय/विपणन के वर्षों की संख्या**	**कुल सब्सक्राइबर**
पेंशन उत्पाद			
म्यूचुअल फंड			
बीमा उत्पाद			
अन्य वित्तीय उत्पाद (विवरण दें)			
योग			